



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252722
CG-DL-E-07032024-252722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2024/फाल्गुन 17, 1945

No. 149]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 7, 2024/PHALGUNA 17, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2024

सं. 15/2024-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 161(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (2) के साथ पठित की उपधारा (1) के खंड (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:---

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 11 के समक्ष, तमिलनाडु राज्य के संबंध में, कॉलम (3) में मद (xiv) को और कॉलम (4) की उससे सम्बंधित प्रविष्टि को निर्रिक्त किया जाएगा।

[फा. सं. CBIC-50394/4/2024-तस्करी-रोधी खंड-CBEC]

राधे कृष्ण, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 55/2023-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 21 जुलाई, 2023, सा.का.नि. 530(अ), दिनांक 21 जुलाई, 2023 द्वारा भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2024

No. 15/2024-Customs (N.T.)

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) read with sub-section (2) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (NT) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 11, relating to the State of Tamil Nadu, in column (3) the item (xiv), and the corresponding entry thereto in column (4) shall be omitted.

[F. No. CBIC-50394/4/2024-Anti Smuggling Section-CBEC]

RADHE KRISHNA, Under Secy.

Note : The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 55/2023-Customs (N.T.) dated the 21st July, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 530 (E), dated the 21st July, 2023.